"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016—माघ 2, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी पति स्व. पुनीत राम नेताम, उम्र 40 वर्ष, निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7, भिलाई-3, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के बी. एस. पी. रिकार्ड के फेमिली मेम्बर सूची में मेरी पुत्री का नाम आरती नेताम (Arti Netam) दर्ज हो गया है जिसमें स्पेलिंग त्रुटि है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम आरती नेताम (Aarti Netam) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को आरती नेताम (Aarti Netam) पिता स्व. पुनीत राम नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आरती नेताम (Arti Netam) पिता स्व. पुनीत राम नेताम निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7 भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	आरती नेताम (Aarti Netam) पिता स्व. पुनीत राम नेताम निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7 भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. पूजा पिता स्व. पुनीत राम नेताम, उम्र 18 वर्ष, निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7, भिलाई-3, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पिता के बी. एस. पी. रिकार्ड के फेमिली मेम्बर सूची में मेरा नाम पूजा नेताम (Puja Netam) दर्ज हो गया है जिसमें स्पेलिंग त्रुटि है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पूजा नेताम (Pooja Netam) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे पूजा नेताम (Pooja Netam) पिता स्व. पुनीत राम नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पूजा नेताम (Puja Netam)
पिता स्व. पुनीत राम नेताम
निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7
भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पूजा नेताम (Pooja Netam)
पिता स्व. पुनीत राम नेताम
निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7
भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी पति स्व. पुनीत राम नेताम, उम्र 40 वर्ष, निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7, भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के बी. एस. पी. रिकार्ड के फेमिली मेम्बर सूची में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश रंजना एलियस श्रद्धा नेताम (Ranjana Alias Shraddha Netam) दर्ज हो गया है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रद्धा नेताम (Shraddha Netam) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को श्रद्धा नेताम (Shraddha Netam) पिता स्व. पुनीत राम नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रंजना एलियस श्रद्धा नेताम
(Ranjana Alias Shraddha Netam)
पिता स्व. पुनीत राम नेताम
निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7
भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रद्धा नेताम
(Shraddha Netam)
पिता स्व. पुनीत राम नेताम
निवासी-सुभाष चौक, शीतला पारा, वार्ड नं. 7
भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार सिंग आत्मज स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग, आयु 22 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 1 डी, सड़क नं. 9, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त प्रमाण पत्रों में मेरा नाम राकेश कुमार सिंग पिता स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग, माता कनक लता सिंग दर्ज है. मैं अपने उपनाम सिंग को परिवर्तित कर नया नाम राकेश कुमार मसीह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राकेश कुमार मसीह आत्मज स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राकेश कुमार सिंग
आत्मज स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग
निवासी–क्वा. नं. 1 डी, सड़क नं. 9, सेक्टर 1, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राकेश कुमार मसीह
आत्मज स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग
निवासी–क्वा. नं. 1 डी, सड़क नं. 9, सेक्टर 1, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिशा कुमारी सिंग आत्मजा स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग, आयु 21 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 1 डी, सड़क नं. 9, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अनिशा कुमारी सिंग आत्मजा स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग एवं माता का नाम कनक लता सिंग दर्ज है. मैं अपने उपनाम सिंग को परिवर्तित कर नया नाम अनिशा कुमारी मसीह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे अनिशा कुमारी मसीह आत्मजा स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अनिशा कुमारी सिंग
आत्मजा स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग
निवासी–क्वा. नं. 1 डी, सड़क नं. 9, सेक्टर 1, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनिशा कुमारी मसीह
आत्मजा स्व. राजेन्द्र कुमार सिंग
निवासी–क्वा. नं. 1 डी, सड़क नं. 9, सेक्टर 1, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 05 जनवरी 2016

प्र. क्र./Q/ब-113 (1)/ वर्ष 2015-16.

क्रमांक/Q/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2016.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कमल जी बैंगानी आत्मज मोहनलाल बैंगानी पता अमोलक भवन, सदर बाजार रायपुर द्वारा ''तेरापंथ युवक परिषद् रायपुर ट्रस्ट, पता-अमोलक भवन, सदर बाजार रायपुर तहसील व जिला रायपुर'' का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''तेरापंथ युवक परिषद् रायपुर ट्रस्ट, पता-अमोलक भवन सदर बाजार रायपुर तहसील व जिला रायपुर''
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये-11,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 09-02-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 05-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दीवान,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.